इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2025–माघ 11, शक 1946

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

सूचना

कमांक – यूडीएच–3–0030–2025–अठारह–5.– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप, संशोधन जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारुप के संबंध में किन्हीं व्यक्ति, से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :–

प्रारुप संशोधन

नियम 19 में संशोधन :–

(1) उप–नियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(12) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप–धारा (5) हेतु वृद्धि कारक, "किसी भी मार्ग पर 3.00 से कम नहीं होगा. तथापि विकास प्राधिकरण, किसी भी ऐसी नई सड़क जो 30 मीटर अथवा 30 मीटर से अधिक चौड़ी हो, विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों को छोड़कर, स्कीम की वित्तीय व्यवहार्यता के लिये, वृद्धि कारक को 3.25 तक बढ़ा सकेगा.

टीप : यदि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य है तो, यह वृद्धि कारक प्राधिकरण की प्रचलित नगर विकास स्कीम में भी, प्राधिकरण मंडल की अनुमति से अपनाया जा सकेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

क्रमांक–यूडीएच–03–0030–2024–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक–यूडीएच–03–0030–2024–अठारह–5, दिनांक 27 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेड़के, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th January 2025

NOTICE

No. UDH-3-0030-2025-XVIII-5.— The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the power conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

Amendment of Rules 19 :-

(1) For sub-rule (12) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(12) For sub-section (5) of Section 50, the factor of "increment shall not be less than 3.0 for any of the road. However, Development authority may increase increment factor up to 3.25 on any new road 30 meters or more than 30 meters wide, excluding road proposed in the Development plan for the financial viability of the town development schemes.

Note : If scheme is financially viable, this increment factor may also be adopted in any ongoing town development schemes, with the approval of the Authority.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.K .KARTIKEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.